केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार.
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA.

1925
28/7/26.

1282
27/7/26

By Speed Post

CP-21/13/2021-WM-I-HO-CPCB-HO-Part(1)-9488 July 20 , 2026

4496

KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
HEAD OFFICE
27 JUL 2026
THIRUVANANTHAPURAM

To,

The Member Secretary,
Kerala State Pollution Control Board,
Plamoodu Jn., Pattom Palace P.O.,
Thiruvananthapuram-695 004, Kerala

Sub: Advisory on grant of consent to new mercury-based manufacturing units – reg.

Sir/Madam,

This has reference to second meeting of National Project Steering Committee (NPSC) under the GEF-funded project titled **"Phasing out Mercury Measuring Devices in Healthcare"** held on 06.04.2026 under the co-chairpersonship of Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) and Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW). A copy of minutes of meeting is enclosed for ready reference.

During the meeting, the need for strengthening mercury management in the country was deliberated. One of the action points identified was the issuance of suitable advisories to State Pollution Control Boards (SPCBs) and Pollution Control Committees (PCCs) regarding mercury management, including collection, interim storage etc. Further, SPCBs/ PCCs should be advised not to give any consent to new Mercury-based manufacturing firms.

It is therefore advised to ensure implementation of guidelines for Environmentally Sound Management of Mercury Waste Generated from the Health Care Facilities issued by CPCB (available at CPCB website https://cpcb.gov.in/technical-guidelines-2/) for mercury management, including collection, interim storage, etc. The SPCBs/PCCs are also being advised not to give any consent to new Mercury-based manufacturing of healthcare devices.

Yours faithfully,

Runa

(Runa Oraon)
Divisional Head
Waste Management -I Division

SEE 1 / SEE 2
28/7/26

स्पीड पोस्ट द्वारा

सीपी-21/13/2021-डब्ल्यूएम-I-एचओ-सीपीसीबी-एचओ-पार्ट(1)-9488 **20 जुलाई, 2026**

सेवा में,

सदस्य सचिव,
केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पट्टम पैलेस, पी.ओ.
तिरुवनंतपुरम - 695 004, केरल

विषय: Mercury आधारित विनिर्माण इकाइयों को सहमति (Consent) प्रदान किए जाने के संबंध में परामर्श।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक, "स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारा मापन उपकरणों का चरणबद्ध उन्मूलन (Phasing out Mercury Measuring Devices in Healthcare)" शीर्षक से जीईएफ (GEF) वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना संचालन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक **06.04.2026** को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। संदर्भार्थ उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है।

बैठक के दौरान देश में Mercury प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक यह था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पारा प्रबंधन, जिसमें पारा अपशिष्ट का संग्रहण,अंतरिम भंडारण आदि शामिल हैं, के संबंध में उपयुक्त परामर्श जारी किया जाए। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण समिति नए पारा-आधारित विनिर्माण प्रतिष्ठानों को कोई सहमति (Consent) प्रदान न करें।

अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि स्वास्थ्य सेवा संस्थानों से उत्पन्न Mercury अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन (Environmentally Sound Management of Mercury Waste Generated from the Health Care Facilities) हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (जो सीपीसीबी की वेबसाइट **https://cpcb.gov.in/technical-guidelines-2/** पर उपलब्ध हैं) का Mercury प्रबंधन, जिसमें संग्रहण, अंतरिम भंडारण आदि शामिल हैं, के संबंध में प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, यह भी परामर्श दिया जाता है कि स्वास्थ्य सेवा उपकरणों के नए Mercury -आधारित विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को सहमति (Consent) प्रदान न की जाए।

भवदीय,

(रूना उरांव)

प्रभागाध्यक्ष
अपशिष्ट प्रबंधन-I प्रभाग